निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 कार्तिक 1939 (श0)

(सं0 पटना 1030) पटना, मंगलवार, 7 नवम्बर 2017

सं० 08/आरोप–01–339/2014,सा०प्र०–11018

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 अगस्त 2017

श्री सुरेन्द्र राय, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–996/08 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने संबंधी इन्दिरा आवास के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभार्थी के चयन में अनियमितता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञा०–9422 दिनांक 18.09.09 एवं आदेश ज्ञा०–11022 दिनांक 29.10.10) संचालित की गयी। इस क्रम में श्री राय को संकल्प ज्ञा०–353 दिनांक 29.01.09 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञा०–11054 दिनांक 02.11.10 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए। कालान्तर में आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञा०–2697 दिनांक 17.02.12 द्वारा श्री राय को सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित किया गया।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा दायर रीट याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–14595/12) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.16 को निम्नरूपेण आदेश पारित किया गया :–

"20 In view of the forgoing reasons, I am of the considered view that the disciplinary authority has failed to produce relevant materials on record to establish the guilt of the petitioner. The enquiry proceeding was conducted in breach of well established norms and principal of law.

21 In the result, both the writ applications are allowed. The enquiry report, the findings of guilt recorded by the disciplinary authority are set aside. The petitioners would be reinstated in service forthwith will consequential benefits."

22 Mr. P.N Shahi, learned senior counsel for the State submits that the matter may be remanded to the disciplinary authority for further equiry. I need not express any view of my own on the matter and it would be up to the disciplinary authority to take appropriate steps.

उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक/तकनीकी त्रुटि के आधार पर श्री राय के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति को निरस्त किया गया। इस आलोक में सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति (विभागीय संकल्प ज्ञा०–2697 दिनांक 17.02.12)

को राज्यमंत्री परिषद् की स्वीकृति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञा०–10941 दिनांक 25.08.2017 द्वारा वापस लेते हुए श्री सुरेन्द्र राय को सेवा में पुनः स्थापित किया जा चुका है।

3. अतएव उक्त संकल्प की कंडिका–7 (क) के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया कि श्री राय के विरूद्ध गठित आरोपों (यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता) की पुनः अग्रेत्तर जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी होंगे। संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा है कि वे छः माह के अन्दर जाँच कार्य पूर्ण करेंगे।

4. श्री राय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष उपस्थित होंगे।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1030-571+10-**डी०टी०पी०।**
Website: http://egazette.bih.nic.in